अनुसूची–14 फारम सं0 563

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

W.C. Website Upload

29.11.12

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

वाद सं0–RM- 61/2011–12

सीता देवी गोड़ बनाम बिहार सरकार एवं अन्य

आदेश

यह अपील वाद श्रीमती सीता देवी गोड़, पति मुकेश कुमार गोड़, बाल विकास परियोजना कार्यालय, भितहा के आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या 4 की आंगनबाड़ी सेविका, ग्राम जिगनही, पो0 परसौनी, थाना भितहा के द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के पत्रांक 143/प्र/आई0सी0डी0एस0, दिनांक 13.12.2011 द्वारा पारित आदेश, जिसके द्वारा उनका चयन रद्द किया गया है, के विरूद्ध दायर किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि उनको आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या 4, ग्राम जिगनही के सेविका के पद से चयन मुक्त करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत किये गये आदेश को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के ज्ञापांक 450, दिनांक 29.12.2011 के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, भितहा के द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को उनके विरूद्ध कथित रूप से उपलब्ध कराये गये कारणपृच्छाओं के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को चयन मुक्त किया गया है। चयन मुक्त करने से पूर्व जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण द्वारा न तो अपीलार्थी को कारणपृच्छा निर्गत किया गया है न ही उन्हें अपने पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी का कथन है कि एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा उनको सेविका के पद से चयन मुक्त किया गया।

दायर किए गए अपील के आलोक में अपीलार्थी श्रीमती सीता देवी गोड एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, भितहा को सुना तथा उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी कागजातों का अध्ययन किया। प्रस्तुत किए गए कागजातों को अपर समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण को उपलब्ध कराते हुए उन्हें जांच कर प्रतिवेदन प्रेषित करने का निदेश दिया गया। अपर समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण के द्वारा अपने पत्रांक 3349/रा0, दिनांक 04.10.2012 के द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जो अभिलेख में संलग्न है। अपर समाहर्त्ता के द्वारा

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
	प्रतिवेदित किया गया कि उनके द्वारा दिनांक 28.09.2012 को आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या 4, ग्राम जिगनही की जांच किया गया है तथा जांच के क्रम में चयन मुक्त सेविका श्रीमती सीता देवी गोड़, आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या 4 की सहायिका तथा ग्रामीण जनता उपस्थित थे। जांच के क्रम में स्पष्ट हुआ कि प्रश्नगत केन्द्र पूर्व में कृष्णा चौधरी के मकान पर चलता था जहां से विवाद के कारण अपीलार्थी अपने मकान पर स्थानांतरित कर चलाती थी। उपस्थित जनता के द्वारा बयान दिया गया कि ग्राम में कोई विद्यालय या पंचायत भवन उपलब्ध नहीं है इस कारणवश आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन के लिए कोई सरकारी भवन उपलब्ध नहीं है। उपस्थित ग्रामीण जनता तथा लाभार्थियों के द्वारा जांच के समय आंगनबाड़ी केन्द्र की नियमित संचालन सेविका के द्वारा किए जाने का बयान दिया गया है। अपर समाहर्त्ता के द्वारा दर्ज किए गए बयान में वितरण पंजी में अंकित मात्रा से कम मात्रा में सूखा राशन वितरण के संबंध में बयान दिया गया है। अपर समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण को आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिश्रव पंजी, टी.एच.आर. पंजी का जांच भी किया गया तथा उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पोषाहार अभिश्रव पंजी के अनुसार प्रत्येक माह चेक से राशि निकासी कर पोषाहार से संबंधित सामग्रियों का क्रय और वितरण अंकित किया गया है। मात्र अगस्त, 2011 से सितम्बर, 2011 तक का अभिश्रव पंजी का छायाप्रति उनके द्वारा प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया गया है तथा प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि **"प्रत्येक माह में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, भितहा एवं महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा सत्यापन किया गया"** अंकित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अगस्त से सितम्बर, 2011 तक का पोषाहार पंजी का सत्यापन महिला पर्यवेक्षिका एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, भितहा के द्वारा किया गया है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, भितहा एवं महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र निरीक्षण पंजी में या पोषाहार पंजी में किसी प्रकार की अनियमितता होने की बात अंकित नहीं की गयी है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा आंगनबाड़ी सेविका को निर्गत कारणपृच्छा क्रमशः अक्टुबर, नवम्बर, दिसम्बर, 2011 का है तथा उसी	

अनुसूची–14 फारम सं0 563

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
	अवधि के पोषाहार पंजी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, भितहा के द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिहस्ताक्षरित है और किसी प्रकार की उक्त अवधि की पंजी में त्रुटि नहीं दिखाया गया है। साथ ही अपर समाहर्त्ता के जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि केन्द्र नियमित रूप से सेविका के द्वारा संचालित की जाती है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा बिना मौका दिए अपीलार्थी का आंगनबाड़ी सेविका, केन्द्र संख्या 4 के पद से चयन मुक्त किया गया है जो न्यायोचित नहीं है। अपर समाहर्त्ता के जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी श्रीमती सीता देवी गोड़ के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं है। अतः श्रीमती सीता देवी गोड़, पति मुकेश कुमार गोड़, केन्द्र संख्या 4, आंगनबाड़ी सेविका, ग्राम जिगनही, पो0 परसौनी, थाना भितहा, बाल विकास परियोजना कार्यालय, भितहा को चयन मुक्ति से संबंधित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 143/प्र/आई0सी0डी0एस0, दिनांक 13.12.2011 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए श्रीमती सीता देवी गोड़ को पुनः आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या 4 पर सेविका के रूप में कार्य करने का आदेश बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, भितहा को दिया जाता है। आदेश की प्रति बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, भितहा एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण को भेजें। ह0/- जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया ह0/- जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया	